



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 37/2025

दायर दिनांक 20.06.2025

अनवान

01. देबीलाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादी

बनाम

01. कन्हैयालाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री रामफूल धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

02. श्री मुकेश धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से



वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 14/10/2025

रक्षक मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 19.08.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 16 पर अंकित आराजी नम्बर 263 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 269 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 332 रकबा 1.1169 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 332/1 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 44 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 484/20 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 486/76 रकबा 0.4209 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 2.5090 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/2 हिस्से का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1529 दिनांक 16.09.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।


उप खण्ड अधिकारी गतार पेज संख्या 02 पर
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	कन्हैयालाल पुत्र जयलाल धाकड़ सा० देह खातेदार	कल्याणपुरा	263 / 2 332 / 3 484 / 20 / 2 486 / 76 / 1	0.1011 0.5585 0.2590 0.2104
	योग		खसरा 04	1.1290
02	देबीलाल पुत्र जयलाल धाकड़ सा० देह खातेदार	कल्याणपुरा	263 / 1 332 / 2 484 / 20 / 1 486 / 76 / 2	0.1012 0.5584 0.2590 0.2105
	योग		खसरा 04	1.1291
03	कन्हैयालाल पुत्र जयलाल 1/2 धाकड़ सा० देह खातेदार देबीलाल पुत्र जयलाल 1/2 धाकड़ सा० देह खातेदार	कल्याणपुरा	44 332 / 1 269	0.1133 0.0243 0.2590 0.1133
	योग		खसरा 03	0.2509

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 14 / 10 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां